



प्रेस नोट

दिनांक - 05.10.2026

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के प्रकरण में निजामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 01 अभियुक्त मुम्बई से गिरफ्तार

कूटरचित अभिलेखों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद रिवाल्वर, 33 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 29.09.2026 को व030नि0 सुरेश सिंह यादव, थाना निजामाबाद को क्षेत्र से विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद निवासी मिर्जा अयाज बेग पुत्र मिर्जा मिनहाज बेग एवं उसके सहयोगियों द्वारा बाहर रहने वाले व्यक्तियों को ग्राम मिर्जापुर का निवासी दर्शाकर उनसे मोटी रकम ली जाती है तथा उनके नाम पर फर्जी पता एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर अधिकारियों एवं सम्बन्धित संस्थाओं को गुमराह करते हुए शस्त्र लाइसेंस एवं अन्य सरकारी लाभ दिलाये जाते हैं।

प्राप्त सूचना के आधार पर जांच की गयी तो प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि **मो0 इबराक पुत्र इमदाद खान, जो वर्तमान समय में अंधेरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र में निवास करता है, को मिर्जा अयाज बेग द्वारा ग्राम मिर्जापुर के पते पर परिवार रजिस्टर, विद्यालय अभिलेख एवं अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य अभिलेख बनवाये गये तथा उक्त अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2010 में रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कराया गया एवं अन्य सरकारी लाभ भी प्राप्त किये गये।** जांच में यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के भी ग्राम मिर्जापुर के पते पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर शस्त्र लाइसेंस एवं अन्य सरकारी लाभ दिलाये गये हैं तथा इसके एवज में मोटी रकम प्राप्त की गयी है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक **29.09.2026** को थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 245/2026 धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 29/30 आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत मिर्जा अयाज बेग पुत्र मिर्जा मिनहाज बेग निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद, मो0 इबराक खान पुत्र इमदाद खान निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद, हाल मुकाम बिल्डिंग नं0 02बी, फ्लैट नं0 504, पाटलिपुत्र, थाना ओशिवरा, मुम्बई, महाराष्ट्र तथा अन्य नाम-पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण से अनुमति प्राप्त कर निरीक्षक (अपराध) जयप्रकाश यादव एवं उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा मय हमराह पुलिस बल के दिनांक **01.10.2026** को मुम्बई पहुंचे। थाना ओशिवरा, मुम्बई पुलिस के सहयोग से अभियुक्त के वर्तमान पते पर पहुंचकर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गयी। मौके पर मौजूद व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम **इबराक खान पुत्र इमदाद खान निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम बिल्डिंग नं0 02बी, फ्लैट नं0 504, पाटलिपुत्र, थाना ओशिवरा, जिला मुम्बई, महाराष्ट्र, उम्र 42 वर्ष** बताया।

अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से **एक आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस एवं एक पैन कार्ड** बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त **मुकदमा उपरोक्त** से सम्बन्धित लाइसेंसी **एक अदद रिवाल्वर, 32 बोर के 33 अदद जिन्दा कारतूस एवं 02 अदद खोखा कारतूस** बरामद हुए।

अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। दिनांक 02.10.2026 को अभियुक्त को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांद्रा, मुम्बई, महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत कर जनपद आजमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। इसके पश्चात अभियुक्त को दिनांक 04.10.2026 को थाना निजामाबाद लाया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जांच में प्रकाश में आये महत्वपूर्ण तथ्य-

जांच के दौरान पाया गया कि मो0 इबराक खान पुत्र इमदाद खान, निवासी अंधेरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र का शस्त्र लाइसेंस संख्या 315/2010 ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद के पते पर जारी हुआ था। उक्त शस्त्र लाइसेंस दिनांक 22.01.2010 का है। जांच में ग्राम मिर्जापुर के पते से सम्बन्धित जूनियर हाईस्कूल का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि अभिलेख कूटरचित होने की जानकारी प्रकाश में आयी है।

उक्त कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आधार कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेज तैयार किये जाने की बात भी सामने आयी है। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2025 में मो0 इबराक द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र के अस्थायी पते पर गजट के माध्यम से अपना नाम परिवर्तित कर **मो0 इबराक खान पुत्र इमदाद खान** कराया गया, जबकि इसी नाम से वर्ष 2010 में शस्त्र लाइसेंस जारी हुआ था।

इसी प्रकार शाहिद मोहम्मद खान पुत्र मोहम्मद सईद खान, निवासी अंधेरी वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र का भी वर्ष 2010 में शस्त्र लाइसेंस संख्या 314/2010 ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद के पते पर जारी होना पाया गया। उक्त शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में भी कूटरचित दस्तावेजों के प्रयोग की जानकारी प्रकाश में आयी है।

मो0 इबराक खान एवं शाहिद मोहम्मद खान के नाम *SIR (Special Intensive Revision) Voter List-2026* में भी ग्राम मिर्जापुर के पते पर दर्ज होने की बात प्रकाश में आयी है, जबकि ग्राम प्रधान की वर्तमान रिपोर्ट तथा परिवार रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों के अवलोकन से दोनों व्यक्तियों का ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद का निवासी होना नहीं पाया गया।

जांच में ग्राम मिर्जापुर निवासी मिर्जा अयाज बेग पुत्र मिर्जा मिनहाज बेग की भूमिका भी प्रकाश में आयी है। उसके द्वारा बाहरी व्यक्तियों को ग्राम मिर्जापुर का निवासी दर्शाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने तथा शस्त्र लाइसेंस एवं अन्य सरकारी लाभ दिलाने में सहयोग किये जाने की बात सामने आयी है। मिर्जा अयाज बेग, उसकी पत्नी, पुत्र एवं भाइयों सहित कुल 08 शस्त्र लाइसेंस होने की जानकारी भी जांच में प्रकाश में आयी है। प्रकरण में उसकी भूमिका तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 245/2026 धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 29/30 आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

एबराक खान पुत्र इमदाद खान निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम बिल्डिंग नं0 02बी, फ्लैट नं0 504, पाटलिपुत्र, थाना ओशिवरा, जिला मुम्बई, महाराष्ट्र, उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर।
2. 33 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।
3. 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर।
4. 01 अदद आधार कार्ड।
5. 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।
6. 01 अदद पैन कार्ड।

आपराधिक इतिहास-

मिर्जा अयाज बेग पुत्र मिनहाज बेग निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद, आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 245/2026 धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 29/30 आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद।
2. मु0अ0सं0 177/2026 धारा 126(2), 131, 351(3), 352, 61(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

मो0 इबराक खान पुत्र इमदाद खान निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, हाल मुकाम बिल्डिंग नं0 02बी, फ्लैट नं0 504, पाटलिपुत्र, थाना ओशिवरा, जिला मुम्बई, महाराष्ट्र

1. मु0अ0सं0 245/2026 धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 29/30 आर्म्स एक्ट, थाना निजामाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक (अपराध) जयप्रकाश यादव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
3. मु0आ0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
4. का0 शाश्वत त्रिपाठी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।